2-6-2016

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके
द्वार के तहत उभय पक्षों को
सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने के
बाद पत्रावली आज राजस्व लोक
अदालत अटल सेवा केन्द्र गुढा
ओमकारगढ़ पर पेश हुयी। वादीया
कान्ती देवी व प्रतिवादीगण में से
प्रतिवादी नं 1 व 2 उपस्थित। उभय
पक्षों को सुना गया। प्रतिवादीगण
का कथन है कि वे वादीया की
खातेदारी भूमि में मजाहमत व मदाखलत
नहीं कर रहे हैं। यदि इन वादीया की
खातेदारी भूमि से पाबंद किया जाता है
तो कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद
वादीया स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण
को हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा
पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के
खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी
खसरा 8, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 92, 106
कुल किता 9 कुल रकबा 10.70 है० वाके
ग्राम रघुनाथपुरा कलां तहसील उच्चैन में
किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें।
फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलाशुदा
होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

(initials)

Scanned by CamScanner